

G. after the Schedule VII, in the Explanation, for clause (ii) and the entries relating thereto, the following clause shall be substituted, namely:-

‘(ii) The expression ‘pre-packaged and labelled’ means a ‘pre-packaged commodity’ as defined in clause (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder.’.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

F.No.190354/172/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note:- The principal notification No.1/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended by notification No. 01/2022-Union Territory Tax (Rate), dated the 31st March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 240(E), dated the 31st March, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 7/2022-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 553(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 674 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

(क) अनुसूची में, -

(i) क्रम संख्या 9 और 22 के समक्ष, कॉलम (3) में “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पैकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि

“दही, लस्सी, छाछ, उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पैकेज्ड और लेबल किया गया हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 27, 29, 30ख, 45, 46क के समक्ष, कॉलम (3) में, “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पैकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 46ख के समक्ष, कॉलम (3) में “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पैकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 और 75 के समक्ष, कॉलम (3) में, “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पैकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 77 और 78 के समक्ष, कॉलम (3) में, “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 94 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि

“(i) सभी प्रकार के गुड, जिसमें गन्ने से प्राप्त होने वाले गुड (सामान्य गुड), पलमेरा गुड भी आते हैं उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो;

(ii) खांडसारी चीनी उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 95 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द “मुर्की के नाम से ज्ञात है” के पश्चात शब्द “उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ix) क्रम संख्या 97क के समक्ष, कॉलम (3) में, “यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 99 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द “शुद्धीकृत” को निरसित किया जाएगा;

(xi) क्रम संख्या 108 के समक्ष, कॉलम (3) में “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiii) क्रम संख्या 118 और 122 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(xiv) क्रम संख्या 132क के समक्ष, कॉलम (3) में, “जो यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xv) क्रम संख्या 141 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ii) 'प्री- पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश का अर्थ 'प्री-पैकेज्ड कमोडिटी' है जिसे विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के उपधारा (1) में परिभाषित किया गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में किये गए पैकेज जिसमें माल पहले से पैक किया गया है या उस पर सुरक्षित रूप से लेबल चिपका हुआ है।”

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट:—प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 19/2021-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 दिसम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 895(अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. . 7/2022-Central Tax (Rate)

G.S.R. 553(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification,

(A) in the Schedule, -

(i) against S. Nos. 9 and 22, in column (3), for the portion beginning with the words “other than those put up in” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;

(ii) against S. No. 26, for the entry in column (3), the entry “Curd, Lassi, Butter milk, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;

(iii) against S. Nos. 27, 29, 30B, 45, 46A, in column (3), for the portion beginning with the words “other than those put up in” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;

(iv) against S. No. 46B, in column (3), for the portion beginning with the words “[other than those” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;

(v) against S. Nos. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74 and 75, in column (3), for the portion beginning with “[other than those” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;

(vi) against S. Nos. 77 and 78, in column (3), for the portion beginning with the words “[other than those” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;

(vii) against S. No. 94, for the entry in column (3), the entry “(i)Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, other than pre-packaged and labelled.; (ii) Khandsari Sugar, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;

(viii) against S. No. 95, in column (3), after the word “Murki”, the words and symbols “, other than pre-packaged and labelled” shall be inserted;

(ix) against S. No. 97A, in column (3), for the portion beginning with the words “other than those put up” and ending with the words “as specified in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;

(x) against S. No. 99, in column (3), the word “purified, ” shall be omitted;

(xi) against S. No. 108, in column (3), for the portion beginning with the words “[other than those” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;

(xiii) S. Nos. 118 and 122 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xiv) against S. No. 132A, in column (3), for the portion beginning with the words “other than those put up” and ending with the words “as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;

(xv) S. No. 141 and the entries relating thereto shall be omitted;

(B) after the Schedule, in the Explanation, for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

“(ii) The expression ‘pre-packaged and labelled’ means a ‘pre-packaged commodity’ as defined in clauses (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder.”.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

[F. No.190354/172/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note:—The principal notification No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 19/2021-Central Tax (Rate) dated the 28th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 895(E), dated the 28th December, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 7/2022- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 554(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 667 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

(क) अनुसूची में, -

(i) क्रम संख्या 9 और 22 के समक्ष, कॉलम (3) में “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि

“दही, लस्सी, छाछ, उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 27, 29, 30ख, 45, 46क के समक्ष, कॉलम (3) में, “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 46ख के समक्ष, कॉलम (3) में “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 और 75 के समक्ष, कॉलम (3) में, “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;